

## 70 17 लाभ कमाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड एवं बोर्ड से निम्न स्तरीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि (सीपीएसई)

भारत सरकार ने मई 1998 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड एवं बोर्ड से निम्न स्तरीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया था। मई 2000 में मंत्रिमंडल के निर्णय से रूग्ण/अव्यवहार्य सीपीएसई को सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने की अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप अगस्त 2001 में मंत्रिमंडल ने सभी सीपीएसई के लिए तथा सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को घटाकर 60 वर्ष से 58 वर्ष करने के प्रस्तावों को अनुमोदित करने का प्राधिकार प्रभारी मंत्री को सौंप दिया था, जिसे उनके निदेशक मंडल ने विधिवत अनुमोदित कर दिया है। अप्रैल 2005 में इस निर्णय की समीक्षा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि सीपीएसई के लिए सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को घटाने की शक्ति इसके बाद मंत्रिमंडल में निहित हो जाएगी।

2. इसी बीच कई रूग्ण सीपीएसई ने लाभ कमाना आरंभ कर दिया तथा इन सीपीएसई ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिए जाने का अनुरोध किया है। इस मामले पर सरकार द्वारा आगे विचार किया गया है तथा अब यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए सीपीएसई के प्रस्तावों के अनुमोदन की शक्ति संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री के पास है, बशर्ते कि—

(क) संबंधित सीपीएसई अपने लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे के अनुसार विगत 3 वर्षों में निवल लाभ कमाया हो तथा विगत तीन वर्षों के दौरान उनका धनात्मक निवल मूल्य होना चाहिए।

(ख) उस सीपीएसई ने विगत 3 वर्षों के दौरान कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं की हो तथा उसके द्वारा भविष्य में कोई बजटीय सहायता नहीं ली जाएगी।

(ग) ये प्रस्ताव संबंधित सीपीएसई के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं तथा उसमें संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार की सहमति होती है।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उक्त निर्णय पर गौर करें तथा अपने प्रशासनाधीन सीपीएसई को इस मामले में उपयुक्त सलाह दें।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 18(1)/2007—जीएम—जीएल—80 दिनांक 20 अप्रैल, 2007)

\*\*\*\*\*